

# बिहार सरकार

## ग्रामीण विकास विभाग

### विज्ञापन

#### प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति देतु आवेदन पत्र का आमन्त्रण

ग्रामीण विकास बोर्ड संघर्षों के अन्तर्गत यातीय विकास पदाधिकारी के पद पर विवरित नियुक्ति होने तक और उत्तीर्ण व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति के आवश्यक प्रबल विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थापन विभाग जल्द है। इस देतु विकास सरकार के विनाशनियित विभाग से सभी अधिकारी एवं पदाधिकारी से विहित प्रबल में ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदाधिकारी
1.	ग्रामीण विकास विभाग	प्रसार पदाधिकारी (उत्तर एवं बालिङ्गम)
2.	पंचायती राज विभाग	प्रबंद पंचायत राज पदाधिकारी (पंचायत पर्वतेश्वर)
3.	अनु-जाति एवं अनु-जनजाति कल्याण विभाग	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी (कल्याण पर्वतेश्वर)
4.	अन्य एवं सांस्कृतिक विभाग (योजना एवं विकास विभाग)	प्रबंद संक्षिप्तकी पर्वतेश्वर
5.	अन्य संसाधन विभाग	अन्य प्रबलन पदाधिकारी (अन्य निरीक्षक)
6.	सहकारी विभाग	सहकारी प्रसार पदाधिकारी
7.	कृषि विभाग	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु विवरित रूप से विवरित ही नहीं है।

#### विवरता-

- संविधान पदाधिकारी कम से कम रुपान्तर या समकक्ष योग्यताप्राप्त है।
- संविधान पदाधिकारी कम से कम अपुरीकृत बेतजनाम 5000-8000 एवं चुनीयित बेतजनाम 9300-34800 (प्रीवी-2) रुपे बेतन 80,4200 में कार्रवत है।
- आवेदक अपना आरक्षण कोटि भी अवित करे।

#### अनुमति-

- दिनांक 01.04.2013 को सरकारी रोपा में कम से कम 10 (दश) वर्षों का अनुमति हो।
- दिनांक 01.04.2013 को कम से कम 5 (पांच) वर्षों का पर्वतेश्वरीय कार्य का अनुमति हो।

#### अन्य शर्तें-

- यह प्रतिनियुक्ति के आधार पर लियुक्त अधिकारक 3 वर्षों के लिए ही होती।
- नियमित लियुक्त होने पर यह प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- चयनित पदाधिकारी अपने बेतजनाम में ही कार्रव करें।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यपालीकृती समिति के प्रत्यक्ष ऐसे पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर नियमित लियुक्त का द्वारा नहीं करेंगे।
- रोपा अतिरिक्त चार जाते वायां विकास विभाग द्वारा विद्यो भी तत्काल पदाधिकारी की सेवायां वापस की जा सकती।
- प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन पद रिक्त होने पर विभाग जारीगा।

#### आवेदन देने की वायाता-

- वैसे 81 वर्षिका प्रसार पदाधिकारी तथा 78 प्रसार पदाधिकारी नियुक्त योग्य सूची में शामिल कर राजस्व एवं ऐसी सुधार विभाग को भेजा गया या परंतु इस सूची को उनके द्वारा यातीय विभाग विभाग को वारास कर दी गयी या इस सूची में सामिल गणित प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी द्वारा पुस्त आवेदन पर भरे जाने की आवश्यकता नहीं है।
- वैसे पर्वतेश्वर किसी का सेवा पैकू विभाग को वापस की जा चुकी है अथवा जिन्हें फैल से हटाया जा चुका है उसके पुस्त आवेदन विभाग नहीं किया जायेगा।
- वैसे पर्वतेश्वर को राजस्व रोपा संघर्षों के अधीन अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित है अथवा फैलावद्वारा स्थापित हैं, के द्वारा ऑन-लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा या विवरानांक नहीं होता।

#### विवर प्रतिक्रिया-

- ऑन-लाईन के आधार से प्राप्त आवेदन पर संविधान पर्वतेश्वरीय पदाधिकारी के नियुक्त विभाग की अनुसूची एवं यातीय विकास विभाग द्वारा वाचित पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर ही उसे फैल के योग्य माना जायेगा।
- प्राप्त आवेदन पर के आधार जै फैल में दुर्लिखित जै भरने हेतु आरक्षण नियमों का पालन का कोठिएर देवत तेवर किया जायेगा।
- पदाधिकारी का पदस्थापन फैल में सामिल करने के परामर्श फैल से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी के रिक्त पदों पर किया जायगा।
- आवेदन देने की प्रक्रिया-
- आवेदन यांत्री विभाग विभाग के वेबसाइट <http://ddlb.bih.nic.in> के माध्यम से ऑन-लाईन द्वारा जाना है। आवेदन बाजे के लिए जल्दी अपनी उपर यैकेंड पर क्रिकेटर कर लें। इसके लिए अपने बूरे आंखोंी तथा चारांख देकर आवेदन प्रबल को गर्जे।
- आवेदन पर प्राप्ति की अंतिम तिथि- 12.06.13 है।

(अनुमत लाभ ग्राहा)  
सचिव